

पत्र संख्या : ७ब/२७०१ गै०यो० ज०सं० ०४/१२..... २३९

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (य००)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : २१-३-१३

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या— ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-२७०१— मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-०३—मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-०७—मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१— मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग / २७०१—मध्यम सिंचाई	०३ मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	००१—निदेशन तथा प्रशासन / ०७—मध्यम सिंचाई परियोजना	२९.८८१

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि—

रुपये उन्तीस लाख अठासी हजार एक सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ ८८९०.५२ लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक ११/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक १७.०९.१२) से प्राप्त राशि ₹ ५६.३४ लाख सहित कुल ₹ ८९४६.८६ लाख (नवासी करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(एस० के० सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

L ८

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापाक :-

239

रॉची, दिनांक :- 21-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/मधुपुर/चाईबासा/साहेबगंज/जामताड़ा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापाक :-

239

रॉची, दिनांक :- 21-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

M.C.G.
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

G.
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

2006
(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

10/2
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

三十六

中華書局影印

金鑑
金鑑
金鑑
金鑑

10
10
10
10
10

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भवे					विस्तृत शीर्ष-02-योग्यता					विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक खाते					विस्तृत शीर्ष-04-गोदानादियां	विस्तृत शीर्ष-05-संख्या	राशि लाख रुपये में
		वेतन	जीवन यापन	योग्यता	15.11.2000 के प्रत्यक्षीय वर्ष का बकाया	वेतनादि	देखीय यात्रा व्यय	कायालय कर	किशायादरे समझी	आपूर्ति एवं दूरभाष	वर्दी	विस्तृत शाखा व्यवस्था	संख्या	विस्तृत शाखा व्यवस्था	मोटरवाहिया विधि प्रभाव	कुल धोग अधिकृत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	56.100 0.000	25.730 0.000	81.830 0.000	0.135 0.000	0.100 0.000	0.350 0.000	0.500 0.000	0.000 0.000	0.125 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.000	83.090 -0.200			
12	लघु वितरणी प्रमङ्गल, कुलड़गाल	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	56.100 0.000	25.730 0.000	81.830 0.000	0.135 0.000	0.100 0.000	0.350 0.000	0.500 0.000	0.000 0.000	0.125 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	82.890 0.550			
13	विशेष भू-अर्जन पदा, तेजुधाट परियोजना, हजारीबाग	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	73.000 28.000	44.000 8.500	117.000 36.500	0.000 0.000	0.100 0.450	0.450 0.800	0.800 0.000	0.000 0.000	0.125 0.500	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	118.770 107.100			
14	विशेष भू-अर्जन पदा, हजारीबाग	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	92.000 77.000	49.500 42.870	104.870 119.870	0.000 0.000	0.100 0.450	0.500 0.500	0.000 0.000	0.000 0.000	0.150 0.450	0.000 0.500	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	143.600 106.520			
15	सिंचाई प्रमङ्गल, जामताडा	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	90.290 77.000	55.030 42.870	145.320 119.870	0.035 0.000	0.000 0.220	0.500 0.500	0.000 0.000	0.100 0.100	0.575 0.575	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	15.000 121.520			
16	सिंचाई प्रमङ्गल, अतिरिक्त आवंतन	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	96.290 80.680	59.030 57.670	155.320 138.350	0.035 0.000	0.000 0.000	0.220 0.500	0.500 0.000	0.000 0.000	0.100 0.100	0.575 0.725	0.100 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.150 0.500	10.050 141.294		
17	सिंचाई प्रमङ्गल सं.-2, सिकटिया	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	80.680 82.000	57.670 49.620	138.350 131.620	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 1.449	0.000 0.600	0.000 0.000	-0.050 -0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	-0.100 0.500	141.194 135.044		
	आतिरिक्त आवंतन का यांग		82.000	49.620	131.620	0.000	0.000	1.729	0.600	0.000	0.100	0.625	0.000	0.000	0.000	0.050	0.280 135.324		
			24.690	4.910	29.600	0.000	-0.150	0.000	0.000	-0.069	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	29.881			

नोट: वित्त विभाग के प्राचांक 11/विभिन्न-14/2010-50/बजट दिन 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य माना जैसे कि विपक्षीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमत्य है।

कुल अतिरिक्त आवंत राशि— कल्पे उन्नीस लाख अठासी हजार एक सौ मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अधिक)

(दी० सी० निराम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

239
21.3.13